केन्द्रीय भंडार
भा.कृ.अ.प.-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान
करनाल (हरियाणा)

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान में अनुपयोगी एवं अप्रचलित निन्दित वस्तुओं/ सामग्रियों जैसे : कप्यूटर-प्रिंटर, बैटरिया, फोटोकॉपी मशीने, विभिन्न प्रकार के प्रयोगशाला उपकरण, मशीनरी, लोहे एवं लकड़ी के फर्नीचर (मेज, कुर्सी, अलमारी आदि), कृषि उपकरण, बिजली के सभी प्रकार के उपकरण/सामान, लोहे एवं प्लास्टिक का स्क्रैप, एलुमिनियम, ब्रास, कॉपर आदि का स्क्रैप, पुरानी बोरिया, प्लास्टिक के कट्टे, विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, अख़बार- पुराने कागज के टुकड़े, एवं पुराने टायर इत्यादि के नीलामी हेतु लोट के अनुसार सीलबंद निविदाये आमंत्रित की जाती है। जो इच्छुक व्यक्ति, बोलीदाता/पार्टी नीलामी में भाग लेना चाहते है, वो रुपये 25000/- बतौर धरोहर राशि के साथ सीलबद निविदा/कोटेशन लिफाफा, दिनांक : 16.02.2026 (कार्य दिवस में) साय : 05 :00 बजे तक जमा करा सकते है। विस्तृत जानकारी हेतु केन्द्रीय भंडार (0184- 2259309) में संपर्क करे एवं संस्थान की वेबसाइट www.ndri.res.in पर देखे।

वरिष्ठ प्रशा. अधिकारी

Central Store
ICAR National Dairy Research Institute
Karnal-Haryana

Auction Notice

Director, ICAR-National Dairy Research Institute, Karnal-Haryana has invited sealed bids/quotation for general auction of Unusable and obsolete condemned items/ materials like: computer-printers, batteries, photocopy machines, various types of laboratory equipment, machinery, iron and wooden furniture (table, chair, cupboard etc.), agricultural equipment. All types of electrical appliances/goods, scrap of iron and plastic, scrap of aluminum, brass, copper etc., old sacks, plastic bags, different types of wood, newspaper-old paper pieces, and old tyres etc. in the Institute. Interested persons, bidders/parties wishing to participate in the auction can submit sealed tender/quotation envelope along with Rs. 25000/- as earnest money up to 16.02.2026 (working days) till 05.00 PM. For detailed information, contact Central Store (0184-2259309) and visit the institute's website www.ndri.res.in

Sr. Admin. Officer

केन्द्रीय भंडार/ CENTRAL STORE
भा.कृ.अ.प.-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान/ ICAR- NATIONAL DAIRY RESEARCH INSTITUTE
करनाल/ KARNAL-132001

फा.स.2-4/आम नीलामी./23-24/के.भ/-

दिनांक:: 27.01.2026

संस्थान में अनुपयोगी एवं अप्रचलित निन्दित वस्तुओं/ सामग्रियों जैसे: कंप्यूटर-प्रिंटर,बैटरिया, फोटोकॉपी मशीने, विभिन्न प्रकार के प्रयोगशाला उपकरण, मशीनरी, लोहे एवं लकड़ी के फर्नीचर(मेज, कुर्सी, अलमारी आदि), कृषि उपकरण, बिजली के सभी प्रकार के उपकरण/सामान, लोहे एवं प्लास्टिक का स्क्रैप, एलुमिनियम, ब्रास, कॉपर आदि का स्क्रैप, पुरानी बोरिया, प्लास्टिक के कट्टे, विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, अख़बार-पुराने कागज के टुकडे, एवं पुराने टायर इत्यादि के नीलामी हेतु लोट के अनुसार सीलबंद निविदाये आमंत्रित की जाती है | लोटो का अवलोकन केन्द्रीय भंडार कार्यालय के प्रांगण में कार्यदिवस में किया जा सकता है |

नीलामी के लिए नियम एवं शर्ते निम्नप्रकार है :-

1. **बोली लगाने के पात्र बनने के लिए सभी बोलीदाताओं को निवेदन किया जाता है कि लोटो का निरिक्षण (कार्यदिवस) में करके, आईसीएआर-एन.डी.आर.आई. करनाल के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रु.25000/- की धरोहर राशि के साथ बंद लिफाफे में निविदा/निविदाये (निर्धारित प्रपत्र में भरकर) दिनांक: 16.02.2026(सोमवार) को साय: 05.00 बजे तक स्थान : केन्द्रीय भंडार कार्यालय में जमा करानी होगी, जो कि दिनांक: 17.02.2026 को प्रात:11.00 बजे, समिति एवं बोलीदाताओं के समक्ष उपरोक्त कार्यालय में खोली जाएगी** | असफल बोलीदाताओं को नीलामी समाप्त होने के पश्चात् लौटा दी जायेगी | बोलीदाताओं को अपने पहचान पत्र जैसे कि:- राशन/आधार/पैन कार्ड,वोटर कार्ड कि प्रतिलिपि, फोटो (पासपोर्ट आकार की),संपर्क न. बिड के साथ सलग्न करना होगा | सफल बोलीदाता को नीलामी की 25 प्रतिशत राशि आवंटन आदेश के 3 दिवस के भीतर जमा करवानी होगी एवं शेष राशि इस पत्र के जारी होने के 7 दिन के अंदर जमा करानी होगी | यदि इस समय सीमा के अन्दर धन राशि जमा नहीं कर सके तो जमा राशि तथा नीलामी के लिए जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी |
2. बोलीदाता को सफल बोली का 5% बतौर सुरक्षा राशि के रूप में जमा करवाना होगा | इस सुरक्षा राशि से संस्थान में किसी भी प्रकार की हानि बोलीदाताओ से हुई तो उक्त राशि से क्षतिपुर्ती की जायगी | यदि संस्थान द्वारा पाया जाता है कि नुकसान सुरक्षा राशि से ज्यादा है , तो अतिरिक्त राशि फर्म को तत्काल प्रभाव से जमा करानी होगी |
3. जब तक पूरी राशि जमा नहीं होगी निन्दित वस्तुओं/सामानों ले जाने की की अनुमति नहीं दी जायेगी | पूर्ण राशि जमा करने के बाद ही उपरोक्त सामान ले जा सकते है | सुरक्षा राशि अंत में वापिस कर दी जाएगी |
4. अधिकतम बोली राशि पर लागु GST निर्धारित दर अलग से जमा करना होगा | लॉट की सकल मूल्य पर 1% टीसीएस अतिरिक्त लिया जायेगा, यानि उच्चतम बोली राशि पर वैध टीसीएस + कर | भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार नकद लेनदेन के संबंध में, सभी भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक्स मोड़ (स्वाइप मशीन/आरटीजीएस/डेबिट कार्ड /नेट बैंकिंग) आदि के द्वारा ही स्वीकार किये जायेंगे | किसी भी प्रकर की राशि नकद स्वीकार नहीं की जाएगी |
5. नीलामी आवंटन आदेश जारी होने के बाद नीलाम किये गये सामान(LOTS) की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वंय बोली दाता की होगी |
6. नीलामी का सामान/ माल 10 दिन के अंदर बोलीदाता को अपने जोखिम और कीमत पर काटकर, लादकर स्वयं के वाहन से ले जाना होगा तथा गेट पास से ही बाहर जाने दिया जायेगा | 10 दिनों तक अगर कोई सफल बोलीदाता सामान उठा के नही ले जाता है तो उसके बाद प्रतिदिन 1000 रु कि दर से पेनल्टी वसूल कि जाएगी |
7. बोलीदाता की धरोहर राशि एवं सुरक्षा राशि संस्थान में जमानत राशि के रूप जमा रहेगी तथा उक्त राशि को नीलामी/बोली राशि में समायोजित नहीं किया जायेगा | जो कि कार्य सफलतापुर्वक एवं संतोषप्रद होने के पश्चात् वापिस कर दी जाएगी |
8. बोली जिस व्यक्ति/पार्टी के नाम छोड़ी जाएगी उसी को सामान ले जाने दिया जायेगा तथा उसी व्यक्ति/पार्टी के नाम गेट पास जारी किया जायेगा, माल ले जाने वाले गेट पास पर हस्ताक्षर भी सफल बोलीदाता के होंगे |
9. बोलीदाता को किसी अन्य सम्बन्धित विभागों से यदि कोई अनुमति चाहिये तो उसे अपने खर्च इत्यादि से आवश्यक इजाजत/लाइसेंस अपने खर्चे पर स्वयं लेना होगा इसके लिए संस्थान की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी |
10. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बोलीदाता द्वारा केंद्र सरकार की पालिसी अथवा गाइडलाइन के तहत निष्पादन करना अनिवार्य होगा |
11. बोलीदाता को संस्थान द्वारा निविदा आमंत्रण के लिए किये गए टेंडर की समस्त शर्तो को पूर्ण करना होगा | तथा निविदा जमा करते समय बोली कि शर्तो को स्वीकार करते हुए एवं नोटिस को हस्ताक्षरित कर जमा करना होगा |
12. सामान/माल को कार्य दिवस के दौरान प्रात: 9:00 बजे साय: 5.30 बजे तक ही बाहर ले जाने की अनुमति होगी |
13. निदेशक एवं अध्यक्ष (नीलामी समिति) एन.डी.आर.आई ,करनाल के पास नियमो एवं शर्तो को संशोधित करने या एक या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है
14. नींलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के वाद -विवाद का निपटारा करनाल जिला न्यायालय में ही होगा | अंतिम निर्णय निदेशक, राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान, करनाल का सर्वमान्य होगा |